न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
विविध प्रार्थना पत्र सं0 32/14

राजस्थान सरकार

प्रार्थी

बनाम

1. बाबासिंह पुत्र मईया सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्री विजयगनर वगैरा (मृतक) तथा
2. जीतकौर पत्नि बाबा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर (मृतक) के कायम मुकाम
   1. जरनैल सिंह
   2. रेशम सिंह
   3. अमरीक सिंह
   4. प्रीतम सिंह

   पुत्रगण स्व0 बाबासिंह पुत्र मईया सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   5. बलविन्द्र कौर
   6. कशमीर कौर

   पुत्रीया स्व0 बावा सिंह पुत्र मईया सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   7. मन्जीत कौर पत्नी मृतक परमजीत सिंह पुत्र बावा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   8. मन्जीत कौर पत्नी मृतक गुरमेल सिंह पुत्र बावा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।
2. श्री तेजसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8
3. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश दिनांक : 19.12.2017

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि उपरोक्त अनवानी मुकदमा अदालतवाला में राजस्व मण्डल राजस्थान ने रिमाण्ड किया था, जिस पर उपखण्ड वाला ने जीत कौर की भूमि चक 29 जीबी के मु.न. 103 पुराना नया 21 में 24 बीघा 10 बिस्वा जमीन को अधिग्रहण करने का आदेश दिया जो कि दिनांक 30.12.1997 को पारित किया गया। जिसके खिलाफ अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में हुई जोकि दिनांक 20.04.2007 को स्वीकार करके जीत कौर की जमीन को मुक्त कर दिया गया जिसके खिलाफ स्टेट की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की जो कि दिनांक 02.02.2012 को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खारिज हो गई तथा राजस्व मण्डल का निर्णय कायम रखा गया जिसके तहत अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दोबारा अपने नाम से करवाने के अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी के माता पिता का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी अपने नाम से दर्ज करवाने का हकदार है। लिहाजा दरखास्त पेश कर अर्ज है कि 144 जा0 दिवानी के प्रावधानो के अनुसार निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम करवाई जानी जरूरी होने से राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार उक्त आराजी के सम्बन्ध मे पूर्व की स्थिति कायम करवाने के लिए भूमि को हमारे नाम से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 20.04.2007 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.1997 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी मुरब्बा नम्बर 103 पुराना 21 नया को 24.10 बीघा (5.947 है.) जमीन का कब्जा वापिस देकर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.1997 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.04.2007 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्याधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

अप्रार्थीगण ने आज दिनांक 19.12.2017 को प्रार्थना पत्र मय आई.डी.प्रूफ प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में अदालतवाला के आदेश से बहक सरकार कब्जा लिया गया था , उसे वापिस पूर्व की स्थिति कायम किए जाने बाबत पेश किया,जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी बाबा सिंह के वारिसों को कायम मुकाम बनाया गया। अप्रार्थीगण 01 ता 08 उपस्थित हुए जिनकी तरफ से श्री तेजासिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 08 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संदीप ढाका ने की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण नं0 08/87 अनवान सरकार बनाम बाबा सिंह पुत्र महिया सिंह में इस न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 31.12.1997 को निर्णय पारित कर मु.न. 103 पुराना 21 नया की 24.10 बीघा (5.947 है.) भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश क्रमांकः–एलआर/सिलिंग/88/ 1664 दिनांक 07.07.1988 द्वारा चक 29 जीबी के मु.न. 103 पुराना 21 नया के किला नम्बर 1 ता 25 की 5.947 हैक्टर नहरी भूमि का कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल संख्या 29 आराजी राज दर्ज किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.12.1997 को अप्रार्थी बाबा सिंह के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.04.2007 से अपील स्वीकार करते इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.1997 निरस्त कर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सख्या –4 श्रीमति जीत कौर की विवादति भूमि मुरब्बा नम्बर 103 की 24.10 बीघा वाके चक 29 जीबी को अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है का निर्णय पारित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 20.04.2007 के विरूद्व एसबी सिविल रिट पेटीशन नम्बर 6911/2011 माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर में दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 02.02.2012 को हुआ जिसमें [Additional collector , Sri Gangnagar vide order aforessid held that the sale lof land made by baba Singh in favour of Narendra Singh was not bonafide. Learned Bord of Revenue after considering the sale deed dated 19-8-1959, certified copy of which was obtaained on 3-11-1992 reached at the conclusion that the sale made in the year 1959 was bonafide one. The finding given by the learned board of Revenule is pure finding of fact, that does nor require any interference by this court while exercising power under Articles 226 and 227 of the constitution of India. The Petition for writ, therefore is dismissed.] जिसके विरूद्व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नम्बर 777/2012 माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर में दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 22.04.2013 को हो हुआ जिसमें [Defects 2-4 have not removed/ hence in the compliance of hon'ble order 04-02-2013 this case stand dismissed.] उक्त निर्णय की पालना में श्रीमान प्रभारी अधिकारी विधि प्रकोष्ठ कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाही गई जो उनके पत्रांक 1925 दिनांक 05.04.2017 से भिजवाते हुए उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के पत्रांक 1139 दिनांक 16.03.2017 को प्रति प्रेषित की जिसमें उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर ने अंकन किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.04.2013 के विरूद्व रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 47/2017 प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त D.B. Writ Restoration N0-47/2017 माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर में दायर की गई जिसका निर्णय दिनांक 30.05.2017[After perusing the application for condonation of delay, we are not satisfied with the reasons incorporated in the application to condone the delay of 1290 days.Hence, the instant restoration applicataion is hereby dismissed.] को हो चुका। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.04.2007 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप, अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल 29 चक 29 जीबी मु.न. 103 पुराना 21 नया के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 5.947 हैक्टर भूमि का कब्जा न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के प्रकरण संख्या सीलिंग/5/98/श्रीगंगानगर (आई.डी.नम्बर 188/98) अनवानी बावा सिंह बनाम सरकार व अन्य के निर्णय दिनांक 20.04.2007 की पालना में कब्जा बावा सिंह के वारिसान जरनैलसिंह–रेशमसिंह–अमरीक सिंह–प्रीतम सिंह पि0 बाबा सिंह बलविन्द्र कौर– कशमीर कौर पुत्रीया बावा सिंह एवं मनजीत कौर पत्नी मृतक परमजीतसिंह पुत्र बावा सिंह, मनजीत कौर पत्नी मृतक गुरमेल सिंह पुत्र बावा सिंह को दिया जाकर राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमल दरामद उनके पक्ष में कब्जे का आदेश दिया जाता है । आदेश की प्रति तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(नखतदान बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।